राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

श्रावण 14, मंगलवार, शाके 1930—अगस्त 5, 2008
Sravana 14, Tuesday, Saka 1930—August 5, 2008

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप—2)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 5, 2008

संख्या प. 2 (13) विधि/2/2008.—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 अगस्त, 2008 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान सह—चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2008

(2008 का अधिनियम संख्यांक 25)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 अगस्त, 2008 को प्राप्त हुई]

राज्य में सह—चिकित्सा परिषद् के गठन, सह—चिकित्सा वृत्ति के विनियमन और सह—चिकित्सा विषयों में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर रही संस्थाओं की मान्यता के लिए और उससे

संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मंडल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:–

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.–(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सह–चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2008 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख से, प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.–इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "परिषद्" से धारा 3 के अधीन स्थापित की गयी राजस्थान सह–चिकित्सा परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "सदस्य" से परिषद् का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ग) "सह–चिकित्सा वृत्तिक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो मान्यताप्राप्त सह–चिकित्सा अर्हता धारण करता है और जो इस अधिनियम के अधीन संधारित सह–चिकित्सा वृत्तिकों के रजिस्टर में इस रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(घ) "सह–चिकित्सा विषय" से अनुसूची में वर्णित कोई सह–चिकित्सा विषय अभिप्रेत है;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(च) "अध्यक्ष" से परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(छ) "मान्यताप्राप्त संस्था" से सह-चिकित्सा विषयों में से किसी भी विषय में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान कर रही और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मान्यताप्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है;

(ज) "मान्यताप्राप्त सह-चिकित्सा अर्हता" से, किसी मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा सह-चिकित्सा विषयों में से किसी भी विषय में प्रदत्त कोई डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या धारा 32 के अधीन मान्यताप्राप्त अर्हता के रूप में घोषित कोई अर्हता अभिप्रेत है;

(झ) "रजिस्ट्रीकृत" से इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है;

(ञ) "रजिस्ट्रार" से धारा 15 के अधीन नियुक्त परिषद् का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है; और

(ट) "उपाध्यक्ष" से परिषद् का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

अध्याय 2

राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद्

3. राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद् का गठन और निगमन.—राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक परिषद् की स्थापना करेगी जिसका नाम राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद् होगा और ऐसी परिषद् एक निगमित निकाय होगी, उसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित या धारित

करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

4. राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद् का गठन और संरचना.-परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(i) रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सा वृत्तिकों द्वारा उनमें से निर्वाचित छह सदस्य:

परन्तु यह कि परिषद् के प्रथम गठन पर राज्य सरकार, निर्वाचित सदस्यों के स्थान पर ऐसे व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकेगी जो सह-चिकित्सा वृत्तिकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए अर्हित हैं;

(ii) राज्य सरकार द्वारा सह-चिकित्सा विषयों में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से नामनिर्देशित किये गये पांच सदस्य:

परन्तु किसी भी एक सह-चिकित्सा विषय में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से एक से अधिक सदस्य नामनिर्देशित नहीं किये जायेंगे;

(iii) मान्यताप्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा स्वयं में से निर्वाचित किये गये तीन सदस्य:

परन्तु यह कि परिषद् के प्रथम गठन पर राज्य सरकार, निर्वाचित सदस्यों के स्थान पर ऐसे व्यक्तियों को, जो राज्य में सह-चिकित्सा विषयों में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान कर रही संस्थाओं में अध्यापक हैं, नामनिर्देशित कर सकेगी;

(iv) संकायाध्यक्ष, औषध संकाय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर, पदेन;

(v) निदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, पदेन; और

(vi) निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, पदेनः

परन्तु कोई भी व्यक्ति प रिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामनिर्देशित किये जाने के लिए अर्हित नहीं होगा, यदि–

(i) वह भारत का नागरिक नहीं है; या

(ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(iii) वह विकृतचित्त है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस रूप में घोषित किया हुआ है; या

(iv) उसे नैतिक अधमता से अंतर्वलित किसी अपराध के लिए दण्डादिष्ट किया गया है; या

(v) वह परिषद् का कर्मचारी है और उसको वेतन या मानदेय के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है

परन्तु यह और कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर एक से अधिक हैसियत से सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा।

5. परिषद् का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष.–परिषद् का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वयं में से निर्वाचित किया जायेगाः

परन्तु परिषद् के प्रथम गठन पर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, परिषद् के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे, जो तीन वर्ष के लिए या राज्य सरकार के प्रसादपर्यंत, जो भी पूर्वतर हो, अपना पद धारण करेंगे।

6. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के नामों का प्रकाशन.–परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समस्त सदस्यों के

नाम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

7. निर्वाचनों का ढंग.—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर निर्वाचन विहित रीति से किया जायेगा और जहां ऐसे किसी भी निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उद्भूत हो, वहां उसे राज्य सरकार को निर्देशित किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

8. पदावधि.—(1) परिषद् का पदेन सदस्य इस रूप में तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक वह उस पद को धारण करता है/करती है जिसके फलस्वरूप वह परिषद् का सदस्य/की सदस्या है।

(2) पदेन सदस्य से अन्यथा परिषद् के सदस्य की पदावधि, उसके निर्वाचन या, यथास्थिति, नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की होगी किन्तु वह ऐसे सदस्य के रूप में पुनःनिर्वाचन या पुनःनामनिर्देशन के लिए पात्र होगा/होगी।

(3) परिषद् का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उसके निर्वाचन की तारीख से तीन वर्ष के लिए या जब तक वह परिषद् का सदस्य बना रहता/रहती है, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा/करेगी किन्तु यदि वह परिषद् का सदस्य/सदस्या है तो पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा/होगी।

(4) कोई निर्वाचित या नामनिर्देशित सदस्य या उपाध्यक्ष, परिषद् के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा और अध्यक्ष, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा/सकेगी।

(5) परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के बारे में राज्य सरकार, राज पत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि वह ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या, यथास्थिति, सदस्य नहीं रहा है, यदि.–

(क) वह अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर देता है, या

(ख) उसकी मृत्यु हो जाती है, या

(ग) वह लगातार एक वर्ष से अधिक भारत से अनुपस्थित रह चुका/चुकी हो, या

(घ) वह परिषद की इजाजत के बिना परिषद् की तीन क्रमवर्ती बैठकों से अनुपस्थित है, या

(ङ) वह धारा 4 के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट कोई निरर्हता उपगत कर लेता है/लेती है:

परन्तु खण्ड (घ) और (ङ) में वर्णित किन्हीं भी मामलों के संबंध में कोई घोषणा तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

(6) राज्य सरकार किसी भी समय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी भी सदस्य को उसके पद से, उसको स्पष्टीकरण का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, किसी भी ऐसे कारण से जिसे राज्य सरकार लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला समझे, हटा सकेगी और इस प्रकार हटाया गया सदस्य/हटायी गयी सदस्या उसके हटाये जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्वाचित या नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

9. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के पद की शर्तें.—परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, परिषद् से कोई वेतन या मानदेय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा/होगी किन्तु उसको ऐसे क्षतिपूरक भत्ते संदत्त किए जा सकेंगे जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

10. रिक्तियों का भरा जाना.—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के पद की कोई भी रिक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यथाशक्य शीघ्र भरी जायेगी।

11. रिक्तियों का कार्यवाहियों और कृत्यों पर प्रभाव न होना.—परिषद् का कोई भी कृत्य या कार्यवाही मात्र किसी रिक्ति या, परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन या नामनिर्देशन में रही किसी भी त्रुटि या अनियमितता, जो सारवान् नहीं हो, के कारण ही अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी।

12. परिषद् के कारबार का संचालन.—(1) परिषद्, अपने कारबार के संव्यवहार के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गए नियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये विनियमों में निम्नलिखित समस्त या इनमें से किसी भी मामले के बारे में उपबंध किये जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) बैठकों का समय और स्थान;

(ख) सदस्यों को ऐसी बैठकों की सूचना जारी करना;

(ग) ऐसी बैठकों में कारबार का संचालन;

(घ) कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति; और

(ङ) परिषद् के समक्ष के कारबार के किसी भाग के बारे में कार्रवाई करने के लिए समितियों की नियुक्ति।

13. परिषद् की शक्तियां और कृत्य.–(1) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, परिषद ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे–

(क) सह–चिकित्सा वृत्तिकों के रजिस्टर का संधारण करना;

(ख) रजिस्ट्रार के विनिश्चयों के विरुद्ध अपील को ऐसी रीति से सुनना और विनिश्चत करना जो विनियमों द्वारा विहित की जाये;

(ग) रजिस्ट्रीकृत सह–चिकित्सा वृत्तिकों के वृत्तिक आचरण को नियमित करने के लिए विनियमों द्वारा सदाचार संहिता विहित करना;

(घ) किसी रजिस्ट्रीकृत सह–चिकित्सा वृत्तिक को धिग्दंडित करना, सह–चिकित्सा वृत्तिकों के रजिस्टर से उसका नाम निलंबित करना या हटाना, या कोई भी ऐसी अन्य अनुशासनिक कार्रवाई करना जो परिषद् की राय में आवश्यक

(ङ) किसी सदस्य को, परिषद् की तीन क्रमवर्ती बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिए अनुज्ञात करना;

(च) नये सह–चिकित्सा विषयों की स्थापना में नवाचार अनुसंधान और विकास को प्रोन्नत करना;

(छ) अनुसूची में नये सह–चिकित्सा के विषय सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना;

(ज) सह–चिकित्सा शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए स्कीमें बनाना;

(झ) सह–चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा के मध्य एक प्रभावी कड़ी प्रोन्नत करना और सह–चिकित्सा विषयों में अनुसंधान और विकास को प्रोन्नत करना;

(ञ) सह–चिकित्सा शिक्षा में पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्याओं, शैक्षिक और अनुदेश संबंधी सुविधाओं, कर्मचारिवृन्द–पैटर्न, कर्मचारिवृन्द की अर्हताओं, गुणात्मक अनुदेशन, मूल्यांकन और परीक्षाओं के लिए मानदंड और मानक अधिकथित करना;

(ट) संस्थागत प्रभारों और अन्य फीसों के लिए मानदंड और मार्गदर्शक सिद्धांत नियत करना;

(ठ) सह–चिकित्सा विषयों में पाठ्यक्रम संचालित कर रही संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना;

(ड) सह-चिकित्सा शिक्षा प्रदान कर रही सह-चिकित्सा संस्थाओं में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का उपबंध करना;

(ढ़) किसी भी सह-चिकित्सा संस्था का निरीक्षण करना या करवाना;

(ण) स्तर की एकरूपता बनाये रखने के लिए सह-चिकित्सा विषयों में परीक्षाओं के संचालन के लिए बोर्ड का गठन करना; और

(त) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो नियमों द्वारा विहित किये जायें।

14. सह-चिकित्सा विषयों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करने की परिषद् की शक्ति.-(1) परिषद्, सह-चिकित्सा विषयों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले किसी भी व्यक्ति को, अपनी बैठकों में आमंत्रित कर सकेगी। इस प्रकार आमंत्रित किसी भी व्यक्ति को बैठक में होने वाली चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(2) परिषद्, उप-धारा (1) के अधीन आमंत्रित व्यक्ति को ऐसे क्षतिपूरक भत्ते संदत्त कर सकेगी जो धारा 9 के उपबंधों के अधीन परिषद् के किसी सदस्य को अनुज्ञेय हैं।

15. रजिस्ट्रार और कर्मचारिवृन्द.-(1) राज्य सरकार, राज्य सेवा के किसी अधिकारी को परिषद् का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी, जो परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा/करेगी जो उसे इस अधिनियम या

गये हैं, या जो उसे परिषद् के किसी आदेश द्वारा विशेष रूप से समनुदेशित किये जायें।

(2) राज्य सरकार की पूर्व सहमति से परिषद् ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए वह आवश्यक समझे।

(3) परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो उसके द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अवधारित की जायें।

(4) परिषद् का रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी और कर्मचारी, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

अध्याय 3

सह–चिकित्सा वृत्तिकों का रजिस्ट्रीकरण

16. रजिस्टरों के संधारण के लिए आदेश.–(1) परिषद् इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् सुविधापूर्वक यथाशक्य शीघ्र, और अवसर की अपेक्षा के अनुसार समय–समय पर, सह–चिकित्सा वृत्तिकों के ऐसे रजिस्टर के, जो कई भागों में व्यवस्थित होगा जिसमें रजिस्ट्रीकृत किये जाने वाले व्यक्तियों को उनकी अर्हताओं के अनुसार वर्गीकृत किया जायेगा, संधारण को विनियमित करने के आदेश देगी।

(2) रजिस्टर, परिषद् द्वारा विहित प्ररूप में रखे जायेंगे।

17. राजस्ट्राकरण किय जान क हकदार व्यक्ति.—मान्यताप्राप्त सह—चिकित्सा अर्हता धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति, सह—चिकित्सा वृत्तिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार होगा।

18. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन.—धारा 17 में वर्णित व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, विहित प्ररूप में और विहित फीस के साथ रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जायेगा।

19. रजिस्ट्रार द्वारा आवेदनों का निपटारा.—(1) यदि रजिस्ट्रार का, विहित रीति से ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि आवेदक धारा 17 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार है तो वह समुचित रजिस्टर में उसका नाम दर्ज करेगा/करेगी।

(2) यदि रजिस्ट्रार का उपर्युक्त समाधान नहीं होता है तो वह, रजिस्ट्रीकरण के आवेदन को नामंजूर करते हुए आदेश करेगा/करेगी और उसके साथ संदत्त फीस प्रतिदत्त करेगा/करेगी।

20. रजिस्टरों का संधारण.—(1) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गए नियमों और विनियमों और परिषद् द्वारा धारा 16 के अधीन किये गये आदेशों के उपबंधों के अनुसार रजिस्टर रखेगा और संधारित करेगा और रजिस्ट्रीकृत पतों और नियुक्तियों में, रजिस्ट्रीकृत अर्हताओं में और रजिस्ट्रीकृत सह—चिकित्सा वृत्तिकों के वर्गीकरण में, आवश्यक परिवर्तन करेगा और किसी भी सह—चिकित्सा वृत्तिका का नाम उसमें से मिटा सकेगा/सकेगी।

(2) रजिस्ट्रार, उप–धारा (1) द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निष्पादन के लिए, ऐसे किसी व्यक्ति को, जो सह–चिकित्सा वृत्तिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, यह पूछते हुए कि आया उसने व्यवसाय छोड़ दिया है या आया उसके निवास या नियुक्ति–स्थान में परिवर्तन हो गया है, डाक द्वारा एक रजिस्टर्ड पत्र उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर या नियुक्ति स्थान के पते पर भेज सकेगा, और यदि ऐसे किसी पत्र का उत्तर, उसे प्रेषित करने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर–भीतर प्राप्त न हो तो, रजिस्ट्रार ऐसे व्यक्ति का नाम रजिस्टर में से मिटा सकेगा/सकेंगी:

परन्तु इस उप–धारा के अधीन मिटाया गया कोई भी नाम, परिषद् के निदेश के अधीन, उक्त रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट किया जा सकेगा।

21. मृत्यु होने पर नाम मिटाना.–जब कभी किसी रजिस्ट्रीकृत सह–चिकित्सा वृत्तिक की मृत्यु के संबंध में कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है तो रजिस्ट्रार ऐसी मृत्यु के तथ्य के बारे में अपना समाधान कर लेने के पश्चात्, मृतक व्यक्ति का नाम रजिस्टर में से मिटा सकेगा।

22. कपटपूर्ण और गलत प्रविष्टियां मिटाना.–रजिस्टरों में की ऐसी कोई भी प्रविष्टि, जिसे रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में कपटपूर्वक या गलत रूप से किया जाना सिद्ध कर दिया जाता है, रजिस्ट्रार द्वारा लेखबद्ध किये जाने वाले आदेश से रजिस्टर में से मिटायी जा सकेगी।

23. रजिस्ट्रीकरण इत्यादि का प्रतिषेध.–(1) परिषद्, निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति का

सह-चिकित्सा वृत्तिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रतिकर सकेगी और यदि ऐसा व्यक्ति पहले से ही इस प्रकार रजिकृत है तो उसका नाम, रजिस्टर में से हटाने का निदेश दे गी, अर्थात्:-

(क) उसे ऐसे किसी भी अपराध के लिये दोष ठहराया गया है जिसमें, परिषद् की राय में, कोई ऐसा चारित्रिक दोष विलक्षित है, जिसके कारण वह सह-चिकित्सा वृत्ति के लिए अयोग्य हो गया है;

(ख) परिषद् द्वारा उसे ऐसे किसी अपराध का दोषी पाया गया है जो परिषद् की राय में ऐसी किसी वृत्तिक अक्षमता उपेक्षा या उसके कर्तव्य के पालन में सामान्यतया सम्मिलित विनियमों का उल्लंघन दर्शित करता है;

(ग) कि वह परिषद् द्वारा वृत्तिक दुराचरण या किसी वृत्तिक दृष्टि से कुत्सित आचरण का दोषी पाया गया है; या

(घ) कि उसके आचरण में ऐसे दोष हैं, जिनके कारण परिषद् की राय में, रजिस्टर में उसके नाम की प्रविष्टि करना या उसका नाम बनाये रखना अवांछनीय होगा:

परन्तु परिषद् द्वारा इस धारा के अधीन तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी सम्यक् जांच के पश्चात् जिसमें संबंधित व्यक्ति को अपनी प्रतिरक्षा में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो, संबंधित व्यक्ति खण्ड (क) या

खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में यथा निर्दिष्ट रूप से निरर्हित नहीं पाया गया हो।

(2) उप-धारा (1) के अधीन रजिस्टर से हटाया गया कोई नाम, और उप-धारा (1) के अधीन पारित रजिस्ट्रीकरण के प्रतिषेध का कोई आदेश, परिषद् के ऐसे निदेश से, जो बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो--तिहाई बहुमत से दिया जाये, रजिस्टर में वापस प्रविष्ट किया जा सकेगा या, यथास्थिति, वापस लिया जा सकेगा।

24. रजिस्टर में नयी उपाधियों और अर्हताओं की प्रविष्टि.-(1) यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है, ऐसी उपाधि या अर्हता जिसके संबंध में उसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है, से भिन्न कोई उपाधि या अर्हता प्राप्त करता है तो वह विहित फीसों के संदाय पर रजिस्टर में अपने नाम के आगे ऐसी अन्य उपाधि या अर्हता संबंधी प्रविष्टि या तो पहले की गयी प्रविष्टि के प्रतिस्थापन में या अभिवर्धन के रूप में करवाने का हकदार होगा और रजिस्ट्रार को उसके लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् या तो आवेदित प्रविष्टि कर सकेगा या लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से आवेदन को अस्वीकृत कर सकेगा।

25. रजिस्ट्रार के आदेशों और विनिश्चयों की अपील.-(1) धारा 19 या धारा 20 या धारा 21 या धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रार के किसी आदेश या विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश या विनिश्चय के तीस दिवस के भीतर-भीतर परिषद् को अपील कर सकेगा।

(2) ऐसी प्रत्येक अपील विहित रीति से सुनी और निपटायी जायेगी।

26. परिषद् के आदेशों की अपील.–धारा 20 की उप–धारा (2) के परन्तुक या धारा 25 के अधीन परिषद् के किसी आदेश या विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश या विनिश्चय की तारीख से तीन मास के भीतर–भीतर, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

27. रजिस्ट्रीकृत सह–चिकित्सा वृत्तिकों की वार्षिक सूचियों की तैयारी, प्रकाशन और उपयोग.–(1) रजिस्ट्रार, प्रत्येक वर्ष परिषद् द्वारा इस निमित्त नियत की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व समस्त रजिस्ट्रीकृत सह–चिकित्सा वृत्तिकों की सूचियां विहित प्ररूप में और विहित विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए विहित ढंग से तैयार, मुद्रित और प्रकाशित करवायेंगा।

(2) प्रत्येक कार्यवाही में यह उपधारणा की जायेगी कि कोई व्यक्ति जिसका नाम उप–धारा (1) के अधीन प्रकाशित नवीनतम सूचियों में प्रविष्ट है, एक रजिस्ट्रीकृत सह–चिकित्सा वृत्तिक है:

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में जिसका नाम उप–धारा (1) के अधीन किसी सूची के प्रकाशन के पश्चात् और तदधीन नयी सूची के प्रकाशन के पूर्व किसी रजिस्टर में प्रविष्ट कर दिया गया है, ऐसी प्रविष्टि की रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रतिलिपि, इस बात का साक्ष्य होगी कि ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।

अध्याय 4

संस्थाओं की मान्यता

28. रजिस्टरों के संधारण के लिए आदेश.-(1) कोई भी व्यक्ति, परिषद् की मान्यता के बिना किसी सह-चिकित्सा संस्था की स्थापना या कोई भी सह-चिकित्सा अर्हता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए सह-चिकित्सा विषयों में किसी भी पाठ्यक्रम का संचालन नहीं करेगा।

(2) सह-चिकित्सा संस्था की मान्यता के लिए रजिस्ट्रार को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, जो विहित की जाये।

(3) परिषद्, यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि मान्यता प्रदान की जाये या नहीं, ऐसी जांच करेगी जो विहित की जाये, और आदेश द्वारा, मान्यता प्रदान करेगी या मान्यता के आवेदन को अस्वीकृत करेगी।

(4) इस अधिनियम के अधीन केवल उन्हीं शैक्षिक या प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जायेगी जो इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा नियत मानकों के अनुरूप हों।

(5) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख पर सह-चिकित्सा पाठ्यक्रमों का संचालन कर रही समस्त संस्थाएं, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर के लिए आवेदन करेंगी और मान्यता प्राप्त करेंगी:

परन्तु यदि इस उप-धारा के अधीन मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्था परिषद् द्वारा इस संबंध में नियत

मानकों के अनुरूप नहीं है तो, उस संस्था को अस्थाया मान्यता इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए प्रदान की जा सकेगी कि परिषद् द्वारा नियत मानकों के अनुसार सुविधाएं, अस्थायी मान्यता प्रदान करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर–भीतर उपलब्ध करवा दी जायेंगी।

(6) यदि संस्था, उप–धारा (5) के परंतुक में विनिर्दिष्ट शर्तं को उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर पूर्ण करने में विफल रहती है तो उस उप–धारा के अधीन प्रदत्त अस्थायी मान्यता तत्काल वापस हो जायेगी।

29. मान्यता की वापसी.– परिषद् लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से और संबंधित संस्था के शासी निकाय या प्राधिकारी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् किसी संस्था की मान्यता तुरंत प्रभाव से वापस ले सकेगी।

30. राज्य सरकार को अपील.–धारा 28 के अधीन किसी भी संस्था मान्यता को प्रदान करने या मान्यता प्रदान करने से इंकार करने या धारा 29 के अधीन ऐसी मान्यता वापस लेने के परिषद् के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर–भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

31. संस्थाओं आदि से सूचना की अपेक्षा करने की परिषद् की शक्ति.–(1)परिषद् को किसी भी मान्यताप्राप्त संस्था के शासी निकाय या प्राधिकारी से –

(क) ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां या अन्य सूचना, जो परिषद् को संस्था या उसमें दी जाने वाली शिक्षा या प्रशिक्षण की दक्षता का निर्णयन करने के लिए समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित हो, प्रस्तुत करने; और

निमित्त प्रतिनियुक्त किया गया है, ऐसी किसी भी संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में उपस्थित रहने के लिए समर्थ बनाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की, अपेक्षा करने की शक्ति होगी।

(2) परिषद् को ऐसी किसी भी संस्था का निरीक्षण करने की शक्ति होगी और इस प्रयोजन के लिए परिषद् अपने तीन से अन्यून और पांच से अनधिक सदस्यों की एक समिति, उक्त संस्था का निरीक्षण करने और उसके संबंध में परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।

अध्याय 5

कतिपय अर्हताओं की मान्यता

32. उस राज्य क्षेत्र से बाहर प्रदान की गयी अर्हता जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है.—परिषद्, यदि उसका समाधान हो जाता है कि राजस्थान राज्य क्षेत्र के बाहर किसी प्राधिकारी द्वारा सह–चिकित्सा विषयों में प्रदान की गयी कोई अर्हता, अपेक्षित कौशल और ज्ञान की पर्याप्त प्रतिभूति प्रदान करती है तो वह ऐसी अर्हता को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, मान्यताप्राप्त अर्हता घोषित कर सकेगी और पर्याप्त प्रतीत होने वाले कारणों से किसी भी समय घोषणा कर सकेगी कि ऐसी अर्हता, ऐसी अतिरिक्त शर्तों के अध्यधीन, यदि कोई हों, जो परिषद् द्वारा विहित की जायें, तब ही मान्यताप्राप्त समझी जायेगी जब वह केवल विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व या पश्चात् प्रदान की गयी हो :

परन्तु भारत के नागरिक के सिवाय, ऐसी अर्हता रखने वाला कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए तब तक अर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि ऐसे राज्य या राष्ट्र, जिसमें अर्हता प्रदान की गयी है, की विधि और प्रथा द्वारा ऐसी अर्हता

धारण करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को सह–चिकित्सा वृत्ति में प्रवेश करने और व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया हो।

33. घोषणाओं की रीति.–धारा 32 के अधीन घोषणाएं, परिषद् की बैठक में प्रस्ताव पारित करके की जायेंगी और राजपत्र में उनके प्रकाशित होते ही वे प्रभावी हो जायेंगी।

अध्याय 6

वित्त

34. फीसों के मानक.–(1) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों में उपबंधित सभी मामलों और कार्यवाहियों के संबंध संदेय फीस के मानक विहित कर सकेगी और उनके संदाय का ढंग उपबंधित कर सकेगी।

(2) ऐसी फीसों का उपयोजन, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

35. परिषद् की निधि.–(1) परिषद् एक निधि की स्थापना करेगी जिसका नाम परिषद् की निधि होगा।

(2) निम्नलिखित परिषद् की निधि के भाग होंगे या उसमें संदत्त किये जायेंगे, अर्थात्:–

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई भी अंशदान या अनुदान;

(ख) फीसों और जुर्मानों को सम्मिलित करते हुए, समस्त स्रोतों से परिषद् की आय;

(ग) दान, विन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई हो; और

(घ) राज्य परिषद् द्वारा प्राप्त कोई अन्य राशि।

(3) परिषद् की निधि का प्रबंध और प्रशासन विहित रीति से किया जायेगा।

होगा, अर्थात् :–

(क) परिषद् द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपगत किये गये ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए;

(ख) ऐसे वाद या विधिक कार्यवाहियों के व्ययों के लिए जिनमें परिषद् एक पक्षकार है;

(ग) परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्दों के वेतनों और भत्तों के संदाय के लिए;

(घ) परिषद् के पदाधिकारियों के भत्तों के संदाय के लिए;

(ङ) परिषद् द्वारा, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गए नियमों और विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने में उपगत किये गये व्ययों के संदाय के लिए; और

(च) सह–चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के प्रोन्नयन और विकास के लिए उपगत कोई भी अन्य व्यय जिन्हें परिषद् द्वारा सह–चिकित्सा शिक्षा और वृत्ति के सामान्य हित में घोषित किया जाये।

36. लेखे और संपरीक्षा.–(1) परिषद् के लेखे, ऐसी तारीख के पूर्व और ऐसे अंतरालों पर, ऐसी रीति से तैयार किये जायेंगे जो विहित की जाये।

(2) परिषद् के लेखे, ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा, संपरीक्षित किये जायेंगे, जो विहित किया जाये।

(3) परिषद् के लेखे संपरीक्षित और परिषद् द्वारा अनुमोदित होते ही, परिषद् इसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित करेगी।

37. बजट.–(1) रजिस्ट्रार, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाये, आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में, अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दर्शाते हुए, बजट तैयार करायेगा और उसको परिषद् के समक्ष ऐसे समय पर और ऐसी रीति से रखेगा जो विहित की जाये।

(2) परिषद् ऐसी रकमों को, जो आवश्यक हों, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में और ऐसे शीर्षों या लघु शीर्षों के बीच पुनर्विनियोजित करने के लिए सक्षम होगी।

(3) परिषद्, जब कभी अपेक्षित हो, ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीख तक, जो विहित की जाये, पूरक बजट पारित कर सकेगी।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

38. इस अधिनियम में उपबंधित के सिवाय व्यवसाय का प्रतिषेध.–राज्य में कोई भी व्यक्ति, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सह-चिकित्सा वृत्तिक के रूप में तब तक व्यवसाय नहीं करेगा/करेगी या स्वयं को ऐसे रूप में प्रकट नहीं करेगा/करेगी जब तक कि उसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया हो और राज्य में कोई भी रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सा वृत्तिक, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उस सह-चिकित्सा विषय में जिसमें वह मान्यताप्राप्त अर्हता रखता है/रखती है, द्वारा आवृत्त विशेषज्ञता क्षेत्र से अन्यथा किसी भी विशेषज्ञता क्षेत्र में सह-चिकित्सा वृत्तिक के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा या स्वयं को ऐसे प्रकट नहीं करेगा।

39. अपराध.–(1) कोई भी व्यक्ति, जो –

(क) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन उसको या किसी

अन्य व्यक्ति को जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण--पत्र का बेईमानीपूर्वक उपयोग करता है, या

(ख) लिखित रूप में या अन्यथा कोई मिथ्या या कपटपूर्ण घोषणा, प्रमाण–पत्र या अभ्यावेदन करके या प्रस्तुत करके या करवा कर या प्ररतुत करवा कर इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण उपाप्त करता है या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, या

(ग) धारा 24 के अधीन किसी नयी उपाधि या अर्हता की प्रविष्टि कपटपूर्वक उपाप्त करता है या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, या

(घ) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन संधारित किये गये रजिस्टरों में या जारी किये गये प्रमाणपत्रों में जानबूझकर कोई मिथ्याकरण करता है या करवाता है; या

(ड.) किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था का सचिव, प्रबंधक या अन्य कोई अधिकारी होते हुए किसी व्यक्ति, को प्रमाण–पत्र जारी करता है या प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करता है; या

(च) धारा 38 के उपबंधों का उल्लंघन करता है,

दोषसिद्धि पर, ऐसे कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से, जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जायेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों में किसी उपबंध का उल्लघंन

अन्तर्गत नहीं आता है, तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुमाने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा।

40. अपराध का प्रसंज्ञान.– कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का प्रसंज्ञान, रजिस्ट्रार द्वारा परिषद् की पूर्व मंजूरी से किये गये परिवाद के सिवाय नहीं लेगा।

41. राज्य सरकार का नियंत्रण.– यदि किसी भी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि परिषद्, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करने में विफल रही है या परिषद् में उसका अतिक्रमण या दुरुपयोग किया है या वह इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्य का पालन करने में विफल रही है, तो राज्य सरकार, यदि वह ऐसी विफलता, अतिक्रमण या दुरुपयोग को गंभीर प्रकृति का समझती है तो उसकी विशिष्टियां परिषद् को अधिसूचित कर सकेगी और यदि परिषद् ऐसी विफलता, अतिक्रमण या दुरुपयोग का उपचार, ऐसे समय के भीतर–भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियत किया जाये, करने में विफल रहती है तो राज्य सरकार परिषद् का विघटन कर सकेगी और परिषद् की समस्त या उनमें से किन्हीं भी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन ऐसी एजेंसी द्वारा छह मास से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए, जो वह उचित समझे, करवा सकेगी:

परन्तु राज्य सरकार, परिषद् के विघटन की तारीख से छह मास की समाप्ति के पूर्व उसका पुनर्गठन करेगी।

42. नियम और विनियम.–(1) राज्य सरकार, राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को साधारणतः कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद पर निर्वाचन की रीति विहित करना;

(ख) धारा 13 की उप–धारा (2) के खण्ड (त) के अधीन परिषद् के अन्य कृत्य विहित करना;

(ग) वह रीति, जिससे परिषद् की निधि का प्रबंध किया जायेगा, विहित करना;

(घ) वह तारीख जिसके पूर्व, वे अंतराल जिन पर, और वह रीति जिससे परिषद् के लेखे तैयार किये जायेंगे, विहित करना;

(ङ) वह रीति जिससे और वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा परिषद् के लेखे संपरीक्षित किए जायेंगे, विहित करना;

(च) वह प्ररूप, जिसमें परिषद् का बजट तैयार किया जायेगा, विहित करना;

(छ) वह प्ररूप जिसमें, और वह तारीख जिस पर परिषद् का पूरक बजट, यदि आवश्यक हो, पारित किया जायेगा, विहित करना; और

(ज) ऐसे मामलों के लिए उपबंध करना जिनके बारे में इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकता है।

(3) परिषद्, राज्य सरकार के अनुमोदन से इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित मामलों के लिए उपबंध करने के लिए विनियम बना सकेगी, अर्थात् :-

(क) धारा 12 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट मामलों को सम्मिलित करते हुए, परिषद् द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति द्वारा कारबार के संव्यवहार को विनियमित करना;

(ख) सह-चिकित्सा वृत्तिकों के रजिस्टरों का प्ररूप विहित करना;

(ग) रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सा वृत्तिकों की वार्षिक सूचियों के प्ररूप और उनके प्रकाशन का ढंग विहित करना;

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किये जाने वाले आवेदनों के प्ररूप विहित करना;

(ङ) परिषद् या उसकी समिति या रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन किये जाने के लिए अपेक्षित किसी जांच या निरीक्षण की रीति और प्रक्रिया विहित करना;

(च) इस अधिनियम के अधीन अपीलों का प्ररूप और प्रक्रिया विहित करना;

(छ) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों में उपबंधित सभी मामलों और

प्रक्रियाओं के संबंध में संदेय फीस के मानक और उनके संदाय का ढंग विहित करना;

(ज) परिषद् के कर्मचारिवृन्दों की संख्या अवधारित करना;

(झ) परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन अवधारित करना और उनकी सेवा की अन्य शर्तें अधिकथित करना;

(ञ) रजिस्ट्रार और अन्य कर्मचारिवृन्दों द्वारा पालन किये जाने वाले कर्तव्य विहित करना;

(ट) रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सा वृत्तिकों की पालनार्थ सदाचार संहिता विहित करना;

(ठ) इस अधिनियम के अधीन किसी संस्था को मान्यता प्रदान करने के लिए मानदण्ड और मानक विहित करना; और

(ड) किसी ऐसे अन्य मामले को विनियमित करना जो इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा विनियमित किया जाना अपेक्षित है या जो परिषद् की राय में परिषद् के दक्षतापूर्वक कार्यकरण के हित में विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाना आवश्यक है।

(4) उप-धारा (3) के अधीन बनाये गये विनियम राज-पत्र में प्रकाशित किये जायेंगे और ऐसे प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

43. नियमों और विनियमों का विधान सभा के समक्ष रखा जाना.—इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम और विनियम उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

44. अनुसूची संशोधित करने की राज्य सरकार की शक्ति.— राज्य सरकार, इस निमित्त परिषद् की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची में नये सह-चिकित्सा विषय को अन्तःस्थापित करके उसे संशोधित कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को और से अनुसूची तदनुसार संशोधित हो जायेगी।

45. दावों और विधि कार्यवाहियों का वर्जन.—इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावनापूर्वक किये गये किसी कार्य के संबंध में उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दावा या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

अनुसूची

[धारा 2 (घ) देखिये]

सह-चिकित्सा विषयों की सूची

1. वाक् चिकित्सा;
2. श्रवण विज्ञान;
3. प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी (विभिन्न प्रकार);
4. रेडियोग्राफी और इमेजिंग-सी टी स्केन, एम आर आई-एक्स-रे;
5. हृदयरोग अन्वेषण प्रौद्योगिकी-ई सी जी, सी टी एम टी, इको, कलर--डॉपलर;
6. आर्थो प्रौद्योगिकी;
7. गामा कैमरा प्रौद्योगिकी/न्यूक्लीयर मेडिसीन प्रौद्योगिकी;
8. आपटीमेट्रिस्ट प्रौद्योगिकी-रिफ्रेक्शन, कॉनटेक्ट लेंस;
9. अल्ट्रा साउंड प्रौद्योगिकी;
10. कैथ-प्रयोगशाला-ऐंजियोग्राफी;
11. आपरेशन थियेटर;
12. मानव पोषण;
13. डायलेसिस/अंग प्रत्यारोपण;
14. अस्पताल चिकित्सा अभिलेख विज्ञान;
15. नेत्ररोग विज्ञान;
16. परफ्यूजन/हृदय रोग शल्य चिकित्सा/हृदय-वक्ष संबंधी;

17. शरीर क्रिया विज्ञान;

18. हृदय रोग विज्ञान;

19. रोग विज्ञान;

20. रेडियोलोजी;

21. स्वास्थ्य / स्वच्छता;

22. प्रतिरक्षण / टीकाकरण;

23. मौलिक स्वास्थ्य परिचर्या और सामुदायिक विकास;

24. पुनर्वास विषयक पाठ्यक्रम–मानसिक मंदता / ह्रासित श्रवणगोचरता / ह्रासित दृष्टि / विकलांग व्यावसायिक प्रशिक्षण;

25. स्पोर्ट्स मेडिसिन;

26. मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन;

27 दंत–स्वास्थ्य;

28. निश्चेतन;

29. रूधिर आधान / रक्त बैंक;

30. रक्त घटक प्रौद्योगिकी;

31. भौतिक विज्ञानी / रेडियोचिकित्सा प्रौद्योगिकी;

32. जरा–संबंधी परिचर्या।

एस. एस. कोठारी,

प्रमुख शासन सचिव।